तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 32/2025 बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/2/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.26 हैक्टर, ख. नं. 1927 रकबा 0.08 हैक्टर, ख. नं. 3375/1680 रकबा 0.78 हैक्टर, ख. नं. 1680 रकबा 0.84 हैक्टर तथा वाके ग्राम डूडीनगर तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि ख. नं. 163 रकबा 0.10 हैक्टर व ख. नं. 393 रकबा 1.27 हैक्टर तथा ग्राम गोदारो का बास तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1261 रकबा 1.71 हैक्टर अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पाबूदान व पाबूदान सिंह पुत्र आशाराम गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में बाबूलाल पुत्र आशाराम है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रार्थी के शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम पाबूदान की बजाय बाबूलाल दुरूस्त करने की अभिषंशा की है। संलग्न समस्त दस्तावेजात से प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र आशाराम साबित होता है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.26 हैक्टर, ख. नं. 1927 रकबा 0.08 हैक्टर, ख. नं. 3375/1680 रकबा 0.78 हैक्टर, ख. नं. 1680 रकबा 0.84 हैक्टर तथा वाके ग्राम डूडीनगर तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि ख. नं. 163 रकबा 0.10 हैक्टर व ख. नं. 393 रकबा 1.27 हैक्टर तथा ग्राम गोदारो का बास तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1261 रकबा 1.71 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम पाबूदान व पाबूदान सिंह पुत्र आशाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र आशाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। हवाई सिंह 28/2/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	